

चुनावी ट्रस्ट के माध्यम से दान में वृद्धि

प्रलिमिस के लिये:

चुनावी बॉण्ड, सर्वोच्च न्यायालय (SC), एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रफिअरमेंस बनाम भारत संघ मामला, 2024, चुनावी बॉण्ड योजना, लोक प्रतनिधित्व अधनियम, 1951, भारत का नरिवाचन आयोग (ECI), वित्त अधनियम 2017, अनुच्छेद 19, 14 और 21।

मेन्स के लिये:

चुनावी बॉण्ड का चुनाव प्रकरण पर प्रभाव, चुनावी बॉण्ड के डिज़ाइन और कारयानवयन से उत्पन्न मुद्दे।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

भारत नरिवाचन आयोग (ECI) द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के लिये जारी चुनावी ट्रस्ट योगदान रपोर्ट, चुनावी ट्रस्टों के माध्यम से राजनीतिक दलों को दिये जाने वाले दान में उल्लेखनीय वृद्धि का संकेत देती है।

- यह वृद्धि [2023-24](#) के बाद हुई, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने [चुनावी बॉण्ड योजना](#) को असंवैधानिक घोषित किया और बैंकों को तुरंत बॉण्ड जारी करना बंद करने का निर्देश दिया।

ECI की रपोर्ट के मुख्य बद्दि और उसके नहितिरथ क्या हैं?

रपोर्ट की मुख्य बातें:

- दान में वृद्धि: पूर्डेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट (PET) में योगदान वर्ष 2022-23 से 2023-24 तक लगभग तीन गुना बढ़ गया।
 - PET भारत का सबसे बड़ा चुनावी ट्रस्ट है, जिसे वित्त वर्ष 24 में **1,075.71 करोड़ रुपए** मिले। यह एक ही ट्रस्ट के भीतर कॉर्पोरेट दान का एक महत्वपूर्ण संकेंद्रण दर्शाता है।
- प्रमुख लाभार्थी: केंद्र में सत्ताहूँ पार्टी (भाजपा) सबसे बड़ी लाभार्थी रही, उसके बाद कॉन्ग्रेस, भारत राष्ट्र समति (BRS) तथा YSR कॉन्ग्रेस का स्थान रहा।
- चुनावी ट्रस्टों की स्थिति: भारत नरिवाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 15 से अधिक चुनावी ट्रस्टों में से, इस अवधि के दौरान केवल पाँच ट्रस्टों को, जिनमें PET भी शामिल है, को दान प्राप्त हुआ।

नहितिरथ:

- तुलनात्मक विश्लेषण: चुनावी बॉण्ड के विपरीत, जिसने वर्ष 2018 से वर्ष 2023 के बीच गुमनाम दान में 12,000 करोड़ रुपए दिये, [2023-24](#) मामले वर्ष 2024 में सर्वोच्च न्यायालय के नरिण्य ने, उन्हें असंवैधानिक घोषित करते हुए राजनीतिक फंडिंग को चुनावी ट्रस्टों की ओर स्थानांतरित कर दिया है।
 - इस बदलाव ने दानकरता की पहचान, राशि और प्राप्तकरता पक्षों का खुलासा करके पारदर्शिता में वृद्धि की है, पूर्डेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट जैसे ट्रस्टों को फैसले के बाद वित्त वर्ष 24 के उनके दान का 74% (1,075.7 करोड़ रुपए में से 797.1 करोड़ रुपए) प्राप्त हुए।
- आरथिक आयाम: चुनावी ट्रस्ट बड़े पैमाने पर कॉर्पोरेट फंड को राजनीतिक प्रणालियों में प्रवाहित करते हैं, जिससे पार्टी के वित्त पर कॉर्पोरेट प्रभाव मजबूत होता है।
 - पूर्डेंट एवं ट्रायम्फ जैसे कुछ ट्रस्टों का प्रभुत्व शीर्ष दानदाताओं के बीच राजनीतिक फंडिंग के केंद्रीकरण को उजागर करता है।

चुनावी ट्रस्ट क्या हैं?

- चुनावी ट्रस्ट के बारे में; वर्ष 2013 में शुरू किये गए चुनावी ट्रस्ट गैर-लाभकारी संस्थाएँ हैं जो दानदाताओं से धन एकत्र करने और उन्हें राजनीतिक दलों को वितरित करने के लिये स्थापित की गई हैं।
- **कानूनी ढाँचा:** इन ट्रस्टों को **कंपनी अधिनियम, 1956** के तहत वनियमिति किया जाता है। इस अधिनियम कीधारा 25 (वरतमान में नए कंपनी अधिनियम, 2013 में धारा 8) कसी भी कंपनी को इस योजना के तहत चुनावी ट्रस्ट स्थापित करने की अनुमति देती है।
- **दान के लिये पात्रता:** **आपकर अधिनियम, 1961** की धारा 17CA चुनावी ट्रस्टों को नमिनलखिति से दान की अनुमति देती है:
 - भारतीय नागरिक, भारत में पंजीकृत कंपनियाँ, फरम, हट्टी अवभिजित परवार (HUF), या भारत में रहने वाले व्यक्तियों के संघ।
- दानदाताओं को अंशदान करते समय अपना पैन (नविसायियों के लिये) या पासपोर्ट नंबर (NRIs के लिये) देना आवश्यक है।
- राजनीतिक दलों को दान: चुनावी ट्रस्टों को एक वित्तीय वर्ष में प्राप्त धनराशका कम से कम 95% उन पात्र राजनीतिक दलों को दान करना होगा जो **जनप्रतनिधित्व अधिनियम, 1951** के तहत पंजीकृत हैं।
- **पंजीकरण एवं नवीकरण:** चुनावी ट्रस्टों को अपना पंजीकरण और संचालन जारी रखने के लिये प्रत्येक तीन वित्तीय वर्षों में नवीकरण के लिये आवेदन करना आवश्यक है।
- चुनावी बॉण्ड तथा चुनावी ट्रस्ट के बीच मुख्य अंतर:

विशेषता	चुनावी बॉण्ड	चुनावी ट्रस्ट
वनियमित	मुख्य रूप से RBI, SBI और चुनाव आयोग द्वारा वनियमित।	कंपनी अधिनियम द्वारा वनियमिति, चुनाव आयोग एवं आयकर वभिग द्वारा निर्गती।
उद्देश्य	इसका उद्देश्य दानकरता की गुमनामी को बनाए रखते हुए दान को सुव्यवस्थिति करना है।	दान को एकत्रित करने और पारदर्शता सुनिश्चिति करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
कर लाभ	दानकरता धारा 80 GGC के अंतर्गत कटौती का लाभ उठा सकते हैं।	ट्रस्ट के माध्यम से दानदाताओं को कर में छूट मिलती है।
परचिलन तंत्र	दान बॉण्ड के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक दलों को दिया जाता है।	ट्रस्ट धन एकत्र करते हैं और उसे राजनीतिक दलों में वितरित करते हैं।
दाता प्रकटीकरण	दानदाताओं की पहचान गुप्त रखी गयी है।	दानदाताओं की पहचान सार्वजनिक रूप से उजागर की जाती है।
पारदर्शता	दानदाताओं और प्राप्तकरताओं की गुमनामी; अघोषिति कॉर्पोरेट प्रभाव की चिता।	दानदाताओं और प्राप्तकरताओं के विवरण का जनता के समक्ष पूरण खुलासा।

चुनावी बॉण्ड योजना क्या है?

- परचिय : 2018 में शुरू की गई चुनावी बॉण्ड योजना, **वचन पत्र** के समान एक धन साधन है, जो भारतीय स्टेट बैंक (SBI) से व्यक्तियों और कंपनियों द्वारा खरीद के लिये उपलब्ध है।
 - बॉण्ड को केवल पंजीकृत राजनीतिक दलों द्वारा निर्दिष्ट खाते में ही भुनाया जा सकता है।
 - बॉण्ड खरीदने वाला व्यक्तिया तो अकेले या दूसरों के साथ संयुक्त रूप से बॉण्ड खरीद सकता है।
- **उद्देश्य :** प्राथमिक लक्ष्य चुनावी फंडिंग में पारदर्शता सुनिश्चिति करना था, सरकार इसे डिजिटल अरथव्यवस्था की ओर बढ़ते राष्ट्र के लिये एक सुधार के रूप में प्रस्तुत कर रही थी।
- **योजना में संशोधन:** वर्ष 2022 में योजना में संशोधन करके राज्य विधान सभा चुनावों के वर्षों के दौरान चुनावी बॉण्ड की खरीद के लियतरिकित 15 दिनी की अवधि की शुरुआत की गई।
 - चुनावी बॉण्ड जारी होने के 15 दिन तक वैध होते हैं। अगर उस समय के भीतर जमा नहीं किया जाता है, तो उनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। अगर राजनीतिक दल वैधता अवधि के भीतर जमा कर देता है, तो बॉण्ड उसी दिन उनके खाते में जमा हो जाता है।
 - केवल जनप्रतनिधित्व अधिनियम, 1951 (RPA) की धारा 29A के तहत पंजीकृत राजनीतिक दल, जिन्होंने पछिले आम चुनाव (या तो लोकसभा या राज्य विधानसभा) में कम से कम 1% वोट प्राप्त किया है, चुनावी बॉण्ड प्राप्त करने के पात्र हैं।
- **असंवेदनकि घोषिति:** **[2022-23, 2023-24, 2024-25, 2025-26, 2026-27, 2027-28, 2028-29, 2029-30, 2030-31, 2031-32, 2032-33, 2033-34, 2034-35, 2035-36, 2036-37, 2037-38, 2038-39, 2039-40, 2040-41, 2041-42, 2042-43, 2043-44, 2044-45, 2045-46, 2046-47, 2047-48, 2048-49, 2049-50, 2050-51, 2051-52, 2052-53, 2053-54, 2054-55, 2055-56, 2056-57, 2057-58, 2058-59, 2059-60, 2060-61, 2061-62, 2062-63, 2063-64, 2064-65, 2065-66, 2066-67, 2067-68, 2068-69, 2069-70, 2070-71, 2071-72, 2072-73, 2073-74, 2074-75, 2075-76, 2076-77, 2077-78, 2078-79, 2079-80, 2080-81, 2081-82, 2082-83, 2083-84, 2084-85, 2085-86, 2086-87, 2087-88, 2088-89, 2089-90, 2090-91, 2091-92, 2092-93, 2093-94, 2094-95, 2095-96, 2096-97, 2097-98, 2098-99, 2099-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029, 2029-2030, 2030-2031, 2031-2032, 2032-2033, 2033-2034, 2034-2035, 2035-2036, 2036-2037, 2037-2038, 2038-2039, 2039-2040, 2040-2041, 2041-2042, 2042-2043, 2043-2044, 2044-2045, 2045-2046, 2046-2047, 2047-2048, 2048-2049, 2049-2050, 2050-2051, 2051-2052, 2052-2053, 2053-2054, 2054-2055, 2055-2056, 2056-2057, 2057-2058, 2058-2059, 2059-2060, 2060-2061, 2061-2062, 2062-2063, 2063-2064, 2064-2065, 2065-2066, 2066-2067, 2067-2068, 2068-2069, 2069-2070, 2070-2071, 2071-2072, 2072-2073, 2073-2074, 2074-2075, 2075-2076, 2076-2077, 2077-2078, 2078-2079, 2079-2080, 2080-2081, 2081-2082, 2082-2083, 2083-2084, 2084-2085, 2085-2086, 2086-2087, 2087-2088, 2088-2089, 2089-2090, 2090-2091, 2091-2092, 2092-2093, 2093-2094, 2094-2095, 2095-2096, 2096-2097, 2097-2098, 2098-2099, 2099-20100, 20100-20101, 20101-20102, 20102-20103, 20103-20104, 20104-20105, 20105-20106, 20106-20107, 20107-20108, 20108-20109, 20109-20110, 20110-20111, 20111-20112, 20112-20113, 20113-20114, 20114-20115, 20115-20116, 20116-20117, 20117-20118, 20118-20119, 20119-20120, 20120-20121, 20121-20122, 20122-20123, 20123-20124, 20124-20125, 20125-20126, 20126-20127, 20127-20128, 20128-20129, 20129-20130, 20130-20131, 20131-20132, 20132-20133, 20133-20134, 20134-20135, 20135-20136, 20136-20137, 20137-20138, 20138-20139, 20139-20140, 20140-20141, 20141-20142, 20142-20143, 20143-20144, 20144-20145, 20145-20146, 20146-20147, 20147-20148, 20148-20149, 20149-20150, 20150-20151, 20151-20152, 20152-20153, 20153-20154, 20154-20155, 20155-20156, 20156-20157, 20157-20158, 20158-20159, 20159-20160, 20160-20161, 20161-20162, 20162-20163, 20163-20164, 20164-20165, 20165-20166, 20166-20167, 20167-20168, 20168-20169, 20169-20170, 20170-20171, 20171-20172, 20172-20173, 20173-20174, 20174-20175, 20175-20176, 20176-20177, 20177-20178, 20178-20179, 20179-20180, 20180-20181, 20181-20182, 20182-20183, 20183-20184, 20184-20185, 20185-20186, 20186-20187, 20187-20188, 20188-20189, 20189-20190, 20190-20191, 20191-20192, 20192-20193, 20193-20194, 20194-20195, 20195-20196, 20196-20197, 20197-20198, 20198-20199, 20199-20200, 20200-20201, 20201-20202, 20202-20203, 20203-20204, 20204-20205, 20205-20206, 20206-20207, 20207-20208, 20208-20209, 20209-20210, 20210-20211, 20211-20212, 20212-20213, 20213-20214, 20214-20215, 20215-20216, 20216-20217, 20217-20218, 20218-20219, 20219-20220, 20220-20221, 20221-20222, 20222-20223, 20223-20224, 20224-20225, 20225-20226, 20226-20227, 20227-20228, 20228-20229, 20229-20230, 20230-20231, 20231-20232, 20232-20233, 20233-20234, 20234-20235, 20235-20236, 20236-20237, 20237-20238, 20238-20239, 20239-20240, 20240-20241, 20241-20242, 20242-20243, 20243-20244, 20244-20245, 20245-20246, 20246-20247, 20247-20248, 20248-20249, 20249-20250, 20250-20251, 20251-20252, 20252-20253, 20253-20254, 20254-20255, 20255-20256, 20256-20257, 20257-20258, 20258-20259, 20259-20260, 20260-20261, 20261-20262, 20262-20263, 20263-20264, 20264-20265, 20265-20266, 20266-20267, 20267-20268, 20268-20269, 20269-20270, 20270-20271, 20271-20272, 20272-20273, 20273-20274, 20274-20275, 20275-20276, 20276-20277, 20277-20278, 20278-20279, 20279-20280, 20280-20281, 20281-20282, 20282-20283, 20283-20284, 20284-20285, 20285-20286, 20286-20287, 20287-20288, 20288-20289, 20289-20290, 20290-20291, 20291-20292, 20292-20293, 20293-20294, 20294-20295, 20295-20296, 20296-20297, 20297-20298, 20298-20299, 20299-20300, 20300-20301, 20301-20302, 20302-20303, 20303-20304, 20304-20305, 20305-20306, 20306-20307, 20307-20308, 20308-20309, 20309-20310, 20310-20311, 20311-20312, 20312-20313, 20313-20314, 20314-20315, 20315-20316, 20316-20317, 20317-20318, 20318-20319, 20319-20320, 20320-20321, 20321-20322, 20322-20323, 20323-20324, 20324-20325, 20325-20326, 20326-20327, 20327-20328, 20328-20329, 20329-20330, 20330-20331, 20331-20332, 20332-20333, 20333-20334, 20334-20335, 20335-20336, 20336-20337, 20337-20338, 20338-20339, 20339-20340, 20340-20341, 20341-20342, 20342-20343, 20343-20344, 20344-20345, 20345-20346, 20346-20347, 20347-20348, 20348-20349, 20349-20350, 20350-20351, 20351-20352, 20352-20353, 20353-20354, 20354-20355, 20355-20356, 20356-20357, 20357-20358, 20358-20359, 20359-20360, 20360-20361, 20361-20362, 20362-20363, 20363-20364, 20364-20365, 20365-20366, 20366-20367, 20367-20368, 20368-20369, 20369-20370, 20370-20371, 20371-20372, 20372-20373, 20373-20374, 20374-20375, 20375-20376, 20376-20377, 20377-20378, 20378-20379, 20379-20380, 20380-20381, 20381-20382, 20382-20383, 20383-20384, 20384-20385, 20385-20386, 20386-20387, 20387-20388, 20388-20389, 20389-20390, 20390-20391, 20391-20392, 20392-20393, 20393-20394, 20394-20395, 20395-20396, 20396-20397, 20397-20398, 20398-20399, 20399-20400, 20400-20401, 20401-20402, 20402-20403, 20403-20404, 20404-20405, 20405-20406, 20406-20407, 20407-20408, 20408-20409, 20409-20410, 20410-20411, 20411-20412, 20412-20413, 20413-20414, 20414-20415, 20415-20416, 20416-20417, 20417-20418, 20418-20419, 20419-20420, 20420-20421, 20421-20422, 20422-20423, 20423-20424, 20424-20425, 20425-20426, 20426-20427, 20427-20428, 20428-20429, 20429-20430, 20430-20431, 20431-20432, 20432-20433, 20433-20434, 20434-20435, 20435-20436, 20436-20437, 20437-20438, 20438-20439, 20439-20440, 20440-20441, 20441-20442, 20442-20443, 20443-20444, 20444-20445, 20445-20446, 20446-20447, 20447-20448, 20448-20449, 20449-20450, 20450-20451, 20451-20452, 20452-20453, 20453-20454, 20454-20455, 20455-20456, 20456-20457, 20457-20458, 20458-20459, 20459-20460, 20460-20461, 20461-20462, 20462-20463, 20463-20464, 20464-20465, 20465-20466, 20466-20467, 20467-20468, 20468-20469, 20469-20470, 20470-20471, 20471-20472, 20472-20473, 20473-20474, 20474-20475, 20475-20476, 20476-20477, 20477-20478, 20478-20479, 20479-20480, 20480-20481, 20481-20482, 20482-20483, 20483-20484, 20484-20485, 20485-20486, 20486-20487, 20487-20488, 20488-20489, 20489-20490, 20490-20491, 20491-20492, 20492-20493, 20493-20494, 20494-20495, 20495-20496, 20496-20497, 20497-20498, 20498-20499, 20499-20500, 20500-20501, 20501-20502, 20502-20503, 20503-20504, 20504-20505, 20505-20506, 20506-20507, 20507-20508, 20508-20509, 20509-20510, 20510-20511, 20511-20512, 20512-20513, 20513-20514, 20514-20515, 20515-20516, 20516-20517, 20517-20518, 20518-20519, 20519-20520, 20520-20521, 20521-20522, 20522-20523, 20523-20524, 20524-20525, 20525-20526, 20526-20527, 20527-20528, 20528-20529, 20529-20530, 20530-20531, 20531-20532, 20532-20533, 20533-20534, 20534-20535, 20535-20536, 20536-20537, 20537-20538, 20538-20539, 20539-20540, 20540-20541, 20541-20542, 20542-20543, 20543-20544, 20544-20545, 20545-20546, 20546-205**

- आयोग ने जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 में संशोधन का प्रस्ताव रखा, जिसमें राजनीतिक दलों के खातों के रखरखाव, लेखापरीक्षा एवं प्रकाशन के लिये धारा 78A को शामिल किया गया, तथा अनुपालन न करने पर दंड का प्रावधान किया गया।
- चुनाव आयोग की सफिराईः चुनाव आयोग की वर्ष 2004 की रपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया करिजनीतिक दलों को अपने खातों को वार्षिक रूप से प्रकाशित करना आवश्यक है, ताकि सामान्य जनता और संबंधित संस्थाओं द्वारा उनकी जाँच की जा सके।
 - सटीकता सुनिश्चित करते हुए लेखापरीक्षण खातों को सार्वजनिक किया जाना चाहयि, तथा लेखापरीक्षा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा अनुमोदित फरमों द्वारा की जानी चाहयि।

भारत में चुनावी फंडिंग से संबंधित मुद्दे क्या हैं?

- पारदर्शिता का मुद्दा: चुनावी बॉन्ड का उद्देश्य पारदर्शिता सुनिश्चित करना था, लेकिन दानदाताओं की गुमनामी इसे कमज़ोर करती है, वशिष्ठ रूप से जनता और विधिक्ष के लिये। चुनावी बॉन्ड में पारदर्शिता का मुद्दा सत्तारूढ़ पार्टी को दानदाताओं की जानकारी में हेरफेर करने की अनुमति देता है, जिससे चुनावों में समझौता होता है।
 - सत्तारूढ़ पार्टी SBI के माध्यम से दानदाताओं के विवरण तक पहुँच सकती है, जिससे गैर-सहायक कंपनियों को हानि पहुँच सकता है।
- लोकतंत्र पर प्रभाव: मतदाता दान के स्रोतों से अनभिज्ञ रहते हैं, जिससे सूचित विकल्प बनाने की उनकी क्षमता सीमित हो जाती है। चुनावी बॉन्ड नागरिकों के राजनीतिक दान के बारे में जानने के अधिकार को प्रतिबंधित करते हैं, जिससे सहभागी लोकतंत्र प्रभावित होता है।
- क्रोनी कैपिटलजिम्: दान की सीमा (पछिले 3 वर्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 7.5%) को हटाने से राजनीतिपर कॉर्पोरेट प्रभाव के लिये दावर खुल जाते हैं, जिससे क्रोनी कैपिटलजिम् को बढ़ावा मिलता है।
 - क्रोनी कैपिटलजिम् एक आरथिक प्रणाली है जिसमें व्यापारिक नेताओं और सरकारी अधिकारियों के बीच घनिष्ठ, पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंध होते हैं।
- फंडिंग में असंतुलन: एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रफिओर्म्स (ADR) रपोर्ट, 2023 में इस बात पर प्रकाश डाला गया है करिष्ट्रीय दल, वशिष्ठ रूप से सत्तारूढ़ दल, चुनावी बॉन्ड दान पर हावी हैं, जिससे असमान फंडिंग प्रदृश्य बनता है।
 - चुनावी बॉन्ड से पता चलता है कि कॉर्पोरेट क्षेत्र से अनुपातहीन दान प्राप्त हुआ है, जिससे सत्तारूढ़ पार्टी की शक्ति मज़बूत हुई है।

आगे की राह

- पारदर्शिता एवं गुमनामी के बीच संतुलन: सबसे प्रमुख प्रतिक्रियाओं में से एक पारदर्शिता एवं गुमनामी में वैध सार्वजनिक हतियों के बीच संतुलन बनाना है। कई अधिकार क्षेत्र छोटे दानदाताओं के लिये गुमनामी की अनुमति देकर इस संतुलन को बनाए रखते हैं, जबकि बड़े दान के लिये खुलासे की आवश्यकता होती है।
 - बरटैन में, कसी पार्टी को एक कैलेंडर वर्ष में एक ही स्रोत से प्राप्त कुल 7,500 पाउंड से अधिक दान की रपोर्ट देनी होती है।
 - जर्मनी में यह सीमा 10,000 यूरो है।
- दान का वनियमन: देशों को बड़े दानदाताओं के प्रभुत्व से बचने के लिये दान को सीमित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहयि। क्योंकि सीमाएँ चुनावों में वर्तीय हथियारों की होड़ को रोकती हैं।
 - चुनावी ट्रस्ट यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि दान सीमा के भीतर रहे तथा उसका उचित आवंटन हो।
- राजनीतिक दलों के लिये सार्वजनिक वित्तपोषण: सार्वजनिक वित्तपोषण पार्टी के प्रदर्शन पर आधारित होता है, जिसके प्रकटीकरण से पारदर्शिता सुनिश्चित होती है, जबकि गुमनामी से छोटे दानदाताओं की सुरक्षा होती है।
- राष्ट्रीय चुनाव कोष: एक राष्ट्रीय कोष सभी दाताओं से दान एकत्र कर सकता है और उसे राजनीतिक दलों को उनके चुनावी प्रदर्शन के आधार पर वितरित कर सकता है।
 - इस दृष्टिकोण से दाताओं के विद्युद्ध संभावित प्रतिशोध की चित्तियों का समाधान हो सकेगा।

???????? ????? ????? ?????:

प्रश्न: इलेक्टोरल बॉन्ड और इलेक्टोरल ट्रस्ट के बीच अंतर स्पष्ट करते हुए पारदर्शिता को बढ़ावा देने में इलेक्टोरल ट्रस्टों की भूमिका की विविधता कीजिये और नियामक नियमों के उपायों का सुझाव दीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, विभिन्न वर्ष के प्रश्न

????????????????????????:

प्रश्न. 'निजिता का अधिकार' भारत के संविधान के किसी अनुच्छेद के तहत संरक्षित है?

- अनुच्छेद 15
- अनुच्छेद 19
- अनुच्छेद 21

(d) अनुच्छेद 29

उत्तर: (c)

प्रश्न:

प्रश्न. सूचना का अधिकार अधिनियम केवल नागरिकों के सशक्तीकरण के संदर्भ में नहीं है, यह अनविार्य रूप से जवाबदेही की अवधारणा को पुनः परभिष्ठि करता है।” चर्चा कीजिये। (2018)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/rise-in-donation-through-electoral-trust>

